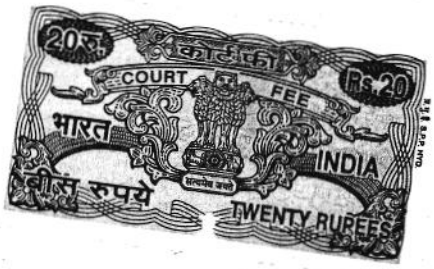

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक नि/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/2310

श्री राम सेवक शर्मा
द्वारा आज दि. 9-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 20-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 9-4-18

P.No 93 ... 9-4-18

जनता एजुकेशन सुसायटी , जनता हा.से.स्कूल
जरिये सचिव लक्ष्मण बहादुर [illegible] सेठ पुत्र
चुन्नी लाल सेठ उम्र 67 वर्ष , डा.टा. रिटायर्ड
परिसन , निवासी गणेश घाट पुरव्याऊ टोरी
सागर म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन ----- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.17 द्वारा पारित न्यायालय कमिश्नर सागर सम्भाग सागर म.प्र. प्रथम अपील क्रमांक 76/ अ 20 / (1) /16-17 अध्यक्ष जनता एजुकेशन सोसायटी विरूद्ध म.प्र. शासन के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यो एवं आधारो ---

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/सागर/भू0रा0/2018/2310

जनता एजूकेशन सुसायटी सागर विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
30-8-2019	आवेदक अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं शासकीय अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2/ यह आवेदन जनता एजूकेशन सुसायटी, जनता हा.से. स्कूल जरिये सचिव लक्ष्मण वहादुर सेठ पुत्र चुन्नी लाल सेठ निवासी गणेश घात पुरव्याऊ टोरी सागर द्वारा न्यायालय कमिश्नर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2017 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत है। प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि यह मामला मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कमिश्नर सागर संभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में पारित आदेश से सम्बन्धित है। प्रकरण के गुण-दोष पर विचारण से पूर्व क्षेत्राधिकार पर विनिश्चय अनिवार्य है। यहां यह विचारण किया जाना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत न्यायालय कमिश्नर द्वारा अभ्यावेदन में पारित किसी आदेश के विरूद्ध (i) क्या उपचार उपलब्ध है तथा (ii) किस प्राधिकारी के सम्मुख उपलब्ध है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(1) की कण्डिका 18 महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत आयुक्त द्वारा पारित अभ्यावेदन आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। अतः कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था न कि इस न्यायालय को। मामले की प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 02-5-2018 को निगरानी के रूप में ग्राह्य कर लिया गया है।	

किन्तु इस बात को ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक होगा कि यदि इस न्यायालय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में उपचार हेतु विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो वह क्षेत्राधिकारविहीन आदेश होकर आरम्भ से ही शून्य होगा। उस आदेश को लागू नहीं किया जा सकेगा तथा विभिन्न फोरम्स पर चुनौती दिये जाने की कमी से ग्रस्त होकर वाद बहुलता को जन्म देगा।

ऐसी स्थिति में यह मामला बिना गुण–दोष पर विचारण किये इसी स्टेज पर समाप्त किया जाता है। आवेदक समुचित फोरम पर, अर्थात राज्य शासन के समक्ष इस मामले को आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(जे0के0 जैन)
सदस्य